राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

कमांक–एफ. 3(3)पोषा/गु.नि./ICDS/2011/95167-200 जयपुर, दिनांक 6/10/15

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी दिशा–निर्देशों की पालना हेतु विशेष अभियान के सम्बन्ध में।

विभाग द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत लाभान्वितो को अन्य सेवाओं के साथ–साथ पूरक पोषाहार का वितरण भी किया जा रहा है। योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पंजीकृत आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को आर.टी.ई. पूरक पोषाहार एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभान्वितों की उक्त श्रेणी अत्यन्त सवेदनशील श्रेणी है।

लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 से एक माह का विशेष अभियान प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां/किया कलाप आयोजित किये जाने हैं :–

1. गुणवत्तापूर्ण पोषाहार के महत्तव, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्तपन्न करने हेतु शिविरों का आयोजन। उक्त कार्य में पंचायत राज संस्थाओं, शहरी निकायों, गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया जा सकता है। इस कार्य हेतु आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं समेकित बाल विकास सेवाएं के अधिकारी/कर्मचारी केन्द्र बिन्दु होंगे। जिन स्थानों पर खाद्य एवं पोषण बोर्ड की इकाईयां उपलब्ध है, उन स्थानों पर उन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है।

2. लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जाने वाले टेक होम राशन एवं एचसीएम की प्रयोगशाला जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जावें। आंगनबाडी केन्द्रों से पंचायती राज प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पोषाहार के नमूने लिये जाकर राज्य/केन्द्र सरकार/खाद्य एवं पोषण बोर्ड की प्रयोगशालाओं में भेजा जावें।

3. ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज की नियमित बैठकों को में पोषाहार की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में चर्चा की जावें।

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

4. आंगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों को हाथ धोने, नाखुन काटने एवं साफ–सफाई रखने हेतु जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया जावें।

5. समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जा रहे बच्चों के माता–पिता को संवेदनशील बनाने हेतु अभियान चलाया जावें।

6. खराब गुणवत्ता के पोषाहार की शिकायतों का विशेष अभियान चलाकर जांच की जावें एवं उसमें सुधारात्मक/दण्डात्मक अंतिम निर्णय लिया जावें।

7. स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आदि राज्य मंत्रियों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावें।

अतः सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 08.09.2015 की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त अभियान की जानकारी आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराते हुए विशेष अभियान के सफल कियान्वयन हेतु उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे। माह के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों की समग्र रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करावें।

6/10/2015
(एम.पी.स्वामी)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

कमांक–एफ. 3(3)पोषा/गु.नि./ICDS/2011/95501-560 जयपुर, दिनांक 6/10/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 08.09.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. ब्रज भूषण शर्मा)
अति. निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in